प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

व्यवहार पुनरीक्षण क्रमांक 87/ 2010

सेठ किरोड़ीमल धर्मदा न्यास एवं अन्य

विरुद्ध

कालीचरण केशान

निर्णय हेतु दिनांक 15/02/2011 को सूचीबद्ध करें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ता/-

एन.के. अग्रवाल

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

व्यवहार पुनरीक्षण क्रमांक 87/ 2010

याचिकाकर्ता/ सेठ किरोड़ीमल धर्मदा न्यास एवं अन्य बचाव पक्ष

विरुद्ध

ऊत्तरवादी/ वादी कालीचरण केशान

व्यवहार प्रक्रिया की धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका

(एकल पीठ: माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति : श्री बी.पी. शर्मा, आवेदकगणों के अधिवक्ता ।

उत्तरवादी के अधिवक्ता श्री अंकित सिंघल के साथ श्री संजय के अग्रवाल।

आदेश

(15/02/2011 को पारित)

1.सिविल व्यवहार वाद /क्रमांक 29-ए/2010 में जिला न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2010 की वैधता और औचित्य, जिसके अंतर्गत व्य.प्र.सं. की धारा 151 के साथ पठित व्य.प्र.सं के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत

प्रस्तुत याचिकाकर्ता का आवेदन निरस्त कर दिया गया है, यह पुनरीक्षण याचिका में विचारणीय है ।

2. इस पुनरीक्षण को उत्पन्न करने वाले तथ्य इस प्रकार हैं: वादी/प्रतिवादी ने यह घोषणा करने के लिए जिला न्यायाधीश, रायगढ़ के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया कि आवेदकों/प्रतिवादियों द्वारा आवेदक न्यास की न्यासधारिता से गैर अनावेदक /वादी को अलग करने के लिए दिनांक 21.02.10 को पारित संकल्प अवैध, मनमाना और विधि की दृष्टि में अमान्य है और यह अधिकार क्षेत्र के बाहर है क्योंकि संकल्प दिनांक 21.08.01, जिसके अंतर्गत आवेदक क्रमांक 3 और 4 को एक के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यासी और संकल्प दिनांक 05.11.07, जिसके अंतर्गत आवेदक क्रमांक 5 को न्यासी के रूप में नियुक्त किया गया था, अवैध, मनमाना और विधि की दृष्टी में अमान्य और अधिकार क्षेत्र के बाहर है। निषेधाज्ञा की परिणाम जनित अनुतोष का भी मांग किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3, वादपत्र के कंडिका 33 के अनुसार प्रकरण का मूल्य या अनुतोष की घोषणा के लिए 1000/- रुपये और स्थायी निषेधाज्ञा की अनुतोष के लिए 1000/- रुपये था और तदनुसार न्यायालय की शुल्क का भुगतान किया जाता है।

4. आवेदकों ने व्य.प्र.सं के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत इस आधार पर वाद की एमपी/सीजी पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1951') की धारा 27(4) के अंतर्गत प्रतिबंधित है। विचारण न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार के अभाव में वाद-प्रश्न की स्थिरता पर भी सवाल उठाए गए।

5. विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि प्रकरण अधिनियम, 1951 की धारा 27(4) के अंतर्गत वर्जित नहीं है, और इस संबंध में प्रारंभिक वाद-प्रश्न तैयार करके प्रकरण के उचित मूल्यांकन का प्रश्न तय किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. आवेदकों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा, अधिनियम, 1951 की धारा 26 और 27 का सन्दर्भ देते हुए प्रस्तुत करेंगे कि अधिनियम, 1951 की धारा 27(4) के अंतर्गत, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का **V**) की धारा 92 के अंतर्गत सार्वजनिक न्यास से संबंधित किसी भी प्रकरण पर किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकरण पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में धारा 26 के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में, प्रकरण की जड़ यह है कि वादी/प्रतिवादी को न्याशिता से हटा दिया गया है और नए न्यासी नियुक्त किए गए हैं और चुनौती न्याशितों की नियुक्ति और वादी/प्रतिवादी को न्यासी के पद से हटाने को है। प्रकरण के इस दृष्टिकोण में, पंजीयक,

सार्वजनिक न्यास को विशिष्ट क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है और यह प्रकरण स्पष्ट रूप से अधिनियम, 1951 की धारा 27(4) के द्वारा वर्जित है। अपने तर्क के समर्थन में, मंदिर अचलेश्वर विरूद्ध अचलेश्वर पब्लिक ट्रस्ट[1] के प्रकरण में मप्र उच्च न्यायालय की युगल पीठ के निर्णय विधि पर अवलंब लिया है ।

7. दूसरी ओर, उत्तरवादी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री संजय के अग्रवाल ने कहा कि अनावेदक/उत्तरवादी ने यह घोषणा करने के लिए व्यवहार प्रकरण प्रस्तुत किया है कि आवेदकों/उत्तरवादीगण द्वारा पारित प्रस्ताव अवैध, कानून की दृष्टि से बुरा और गैर-आवेदक के उपनियमों के विरुद्ध है। यह अच्छी तरह से स्थापित विधि है कि सार्वजनिक न्यास के न्यासी द्वारा अपनी बैठकों में पारित प्रस्तावों को अवैध और शून्य घोषित करने का प्रकरण व्य. प्र. सं. की धारा 92 के सीमा से बाहर है। दीवानी प्रकृति की शिकायत रखने वाले वादी को सक्षम व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद प्रस्तुत करने का अधिकार है, जब तक कि उसका संज्ञान किसी विधि द्वारा स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से वर्जित ना हो। स्वामी परमानंद सरस्वती विरुद्ध रामजी त्रिपाठी[2] के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अवलंब लेते हुए, उन्होंने आगे वह आगे निवेदन किया कि जब किसी न्यासी के कार्यालय के अधिकार का मांग प्रस्तुत किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] 1999(1)JLJ-74
[2] 1974(2)SCC 695

और उस आधार पर अनुतोष मांगी जाती है, तो प्रकरण व्य. प्र. सं. की धारा 92 के अंतर्गत आता है। यह विचार करने का कोई कारण नहीं है कि जब व्य. प्र. सं. की धारा 92 के अंतगत दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई प्रकरण लाया जाता है, तो प्रकरण, सार्वजनिक अधिकार की पुष्टि के लिए होता है। जहां तक मूल्यांकन का प्रश्न है, उनका कहना है कि इस पर अभी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना शेष है और इसके लिए वाद-प्रश्न पहले ही विरचित किए जा चुके हैं और चुनौती अपरिपक्व है।

8. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना है और आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. निर्णय लेने के लिए वर्तमान पुनरीक्षण में शामिल मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम, 1951 की धारा 27(4) द्वारा बनाई गई विशिष्ट रोक को दृष्टी में रखते हुये यह सुनिश्चित किया गया प्रकरण न्यवहार न्यायालय में चलने योग्य है।

10. व्य. प्र. सं. की धारा 92 नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

"92. लोक पुर्त कार्य - (1) पूर्त या धार्मिक पृकृति के लोक प्रयोजनों के लिये सृष्ट किसी अभिव्यक्त या आन्वयिक न्यास के किसी अभिकथित भंग के मामले में या ऐसे किसी न्यास के प्रशासन के लिये न्यायालय का निदेश आव्यसक समझा

जाता है वहां महाधिवक्ता या न्यास के हित रखने वाले ऐसे दो या अधिक व्यक्ति [जिन्होंने न्यायालय की इजाजत] अभिप्राप्त कर ली है, ऐसा वाद चाहे वह प्रतिरोधात्मक हो या नंही, आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान `सिविल न्यायालय में या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किये गये किसी अन्य न्यायालय में जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यास की सम्पूर्ण विषय-वस्तु या उसका कोई भाग स्थित है, निम्नलिखित्त डिक्री प्राप्त करने के लिये संशित कर सकेंगे -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(क) किसी न्यासी को हटाना;

(ख) एक नए न्यासी की नियुक्ति करना;

(ग) किसी न्यासी में कोई संपत्ति निहित करना;

3[(ग) हटाए गए न्यासी या ऐसे व्यक्ति को, जो न्यासी नहीं रहा है, उसके कब्जे में किसी न्यास संपत्ति का कब्जा उस व्यक्ति को सौंपने का निर्देश देना जो ऐसी संपत्ति पर कब्जा करने का हकदार है];

(घ) खातों और जांचो का निर्देश देना;

(e) न्यास की संपत्ति या उसमें निहित हित का कितना अनुपात न्यास के किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवंटित किया जाएगा, यह घोषित करना;

(f) न्यास की संपत्ति के संपूर्ण या किसी भाग को पट्टे पर देने, बेचने, गिरवी रखने या विनिमय करने के लिए अधिकृत करना;

(g) एक योजना निर्धारित करना; या

(h) मामले की प्रकृति के अनुसार ऐसी अतिरिक्त या अन्य अनुतोष प्रदान करना।

(2) धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम, 1863 (20 ऑफ 1863) 4[या 5[उन क्षेत्रों में लागू किसी संबंधित कानून द्वारा, जो 1 नवंबर, 1956 से ठीक पहले भाग बी राज्यों में शामिल थे]] द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों के अलावा, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी अनुतोष का दावा करने वाला कोई भी वाद उसमें संदर्भित किसी भी न्यास के संबंध में उस उप-धारा के प्रावधानों के अनुरूप ही दायर किया जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4[(3) न्यायालय धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति के सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सृजित किसी स्पष्ट या रचनात्मक न्यास के मूल प्रयोजनों को परिवर्तित कर सकता है और ऐसे न्यास की संपत्ति या आय या उसके किसी भाग को निम्नलिखित एक या अधिक परिस्थितियों में साइ प्रेस के रूप में लागू करने की अनुमति दे सकता है, अर्थात्:-

(क) जहाँ न्यास के मूल प्रयोजन, पूर्णतः या आंशिकतः,-

(i) जहाँ तक संभव हो, पूर्ण हो चुके हैं; या

(ii) बिल्कुल भी पूर्ण नहीं किए जा सकते हैं, या न्यास सृजित करने वाले विलेख में दिए गए निर्देशों के अनुसार पूर्ण नहीं किए जा सकते हैं, या जहाँ ऐसा कोई विलेख नहीं है, वहाँ न्यास की भावना के अनुसार पूर्ण नहीं किए जा सकते हैं;

(ख) जहाँ न्यास के मूल प्रयोजन न्यास के आधार पर उपलब्ध संपत्ति के केवल एक भाग के लिए उपयोग प्रदान करते हैं; या

(ग) जहां न्यास के आधार पर उपलब्ध संपत्ति और समान प्रयोजनों के लिए लागू अन्य संपत्ति का अधिक प्रभावी ढंग से एक साथ उपयोग किया जा सकता है, और उस उद्देश्य के लिए, न्यास की भावना और सामान्य प्रयोजनों के लिए इसकी प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयुक्त रूप से लागू किया जा सकता है; या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(घ) जहां मूल प्रयोजन, पूर्णतः या आंशिक रूप से, किसी ऐसे क्षेत्र के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे जो उस समय ऐसे प्रयोजनों के लिए एक इकाई था, लेकिन बाद में नहीं रहा। या

(ङ) जहाँ मूल उद्देश्य, पूर्णतः या आंशिक रूप से, उनके निर्धारित होने के बाद से,-

(i) अन्य साधनों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रदान किए गए हों, या

(ii) समुदाय के लिए अनुपयोगी या हानिकारक होने के कारण समाप्त हो गए हों, याड़

(iii) विधिवत रूप से धर्मार्थ न रह गए हों, या

(iv) न्यास की भावना को ध्यान में रखते हुए, न्यास के आधार पर उपलब्ध संपत्ति का उपयोग करने का कोई उपयुक्त और प्रभावी तरीका प्रदान करने में किसी अन्य तरीके से विफल हो गए हों।]]

11. अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत , यदि पंजीयक , सार्वजनिक न्यास में रुचि रखने वाले या अन्यथा किसी व्यक्ति के आवेदन पर संतुष्ट है कि – (ए) सार्वजनिक न्यास का मूल उद्देश्य विफल हो गया है; (बी) न्यास संपत्ति का उचित प्रबंधन या प्रशासन नहीं किया जा रहा है; या (सी) सार्वजनिक न्यास के प्रशासन के लिए न्यायालय का निर्देश आवश्यक है; वह कार्यरत न्यासी को सुनवाई का अवसर देने के पश्च्यात ऐसे न्यासी को पंजीयक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर निर्देशों के लिए न्यायालय में आवेदन करने का निर्देश दे सकता है, और यदि निर्देशित न्यासी आवश्यकतानुसार आवेदन करने में विफल रहता है, या यदि सार्वजनिक न्यास का कोई न्यासी नहीं है या यदि किसी अन्य कारण से, रजिस्ट्रार ऐसा करना उचित समझता है, तो वह स्वयं न्यायालय में आवेदन करेगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अधिनियम, 1951 की धारा 27 (1) के अंतर्गत, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के बाद, न्यायालय प्रकरण की इस प्रकार निरीक्षण करेगी या कराएगी जैसा वह उचित समझे और उस पर इस प्रकार आदेश पारित करेगी जैसा वह उचित समझे। अधिनियम, 1951 की धारा 27 (2) के अंतर्गत , न्यायालय को अन्य शक्तियों के अतिरिक्त, आदेश देने की शक्ति होगी (ए) किसी भी न्यासी को हटाना (बी) एक नया न्यासी नियुक्त करना (सी) यह घोषणा करना कि न्यास की संपत्ति का कितना हिस्सा या उसमें ब्याज, न्यास के किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवंटित किया जाएगा (डी) न्यास संपत्ति के प्रबंधन की एक योजना प्रदान करना (ई) यह निर्देश देना कि सार्वजनिक न्यास का धन कैसे खर्च किया जाएगा, जिसका मूल उद्देश्य विफल हो गया है, मूल उद्द्येश को ध्यान में रखते हुए न्यास का लेखक या वह उदेश्य जिसके लिए न्यास बनाया गया था, और (एफ) प्रकरण की प्रकृति के अनुसार कोई भी निर्देश निर्गमित करना। अधिनियम की धारा 27(3) के अनुसार, उपधारा (2) के अंतर्गत न्यायालय द्वारा पारित कोई भी आदेश ऐसी न्यायालय का डिक्री माना जाएगा और उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में आवेदन की जाएगा । निर्विवाद रूप से, अधिनियम, 1951 की धारा 27(4) के अनुसार, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 92 के अंतर्गत किसी सार्वजनिक न्यास से संबंधित किसी भी प्रकरण पर किसी भी न्यायालय द्वारा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में धारा 26 के अंतर्गत एक आवेदन किया जा सकता है।

13. मंदिर अचलेश्वर (पुर्वोक्त) के मामले में, मंदिर श्री अचलेश्वर द्वारा अपने पुजारी के माध्यम से और मंदिर श्री अचलेश्वर पब्लिक न्यास के विरुद्ध कार्यकारी न्यासी और अन्य के माध्यम से अन्य आरोपों पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादियों ने मंदिर का कुप्रबंधन किया था और चढ़ोतरी राशि का दुरूपयोग कर रहे थे। वे न्यास के लक्ष्य और उद्देश्य की भी उपेक्षा कर रहे थे। प्रतिवादी न्यास को हांनी पहुंचा रहे थे, इसलिए प्रबंधन को शीघ्र हटाना आवश्यक हो गया था। इन आरोपों पर प्रतिवादी के विरुद्ध 11 अनुतोषों का दावा किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपरोक्त प्रकरण में युगल पीठ ने पाया; प्रकरण व्य. प्र. सं. की धारा 92 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था; प्रकरण; मंदिर अचलेश्वर द्वारा पुजारी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, न कि पुजारी द्वारा अपने अधिकारों की घोषणा के लिए अपनी व्यक्तिगत क्षमता में, वादपत्र में मांगी गई अनुतोष से पता चलता है कि अनुतोष अधिनियम, 1951 की धारा 26 के प्रावधानों के चार कोनो के अंतर्गत आती है, यह माना गया कि प्रकरण अधिनियम, 1951 की धारा 27 (4) के अंतर्गत वर्जित है।

15. उपरोक्त संदर्भित मामले में युगल पीठ द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार, "व्य. प्र. सं. की धारा 92 के अंतर्गत सार्वजनिक न्यास के संबंध में कोई प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, जिसके संबंध में अधिनियम, 1951 की धारा 26 के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है, और अधिनियम की धारा 26 सार्वजनिक न्यास से संबंधित सभी प्रकरणों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है"।

16. स्वामी परमात्मानंद सरस्वती (पुर्वोक्त) के पकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय के कंडिका 10 और 11 में निम्नानुसार व्यवस्था दी है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"10.** धारा 92 के अंतर्गत एक वाद, एक विशेष प्रकृति का प्रकरण है जो एक धार्मिक या धर्मार्थ चरित्र के सार्वजनिक न्यास के अस्तित्व को मानता है। ऐसा प्रकरण केवल इस आरोप पर आगे बढ़ सकता है कि इस प्रकार के न्यास का उल्लंघन हुआ था या न्यास के प्रशासन के लिए न्यायालय का निर्देश आवश्यक है और वादी को धारा में उल्लिखित एक या अधिक अनुतोषों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि विश्वास के उल्लंघन का आरोप प्रमाणित नहीं होता है या वादी ने न्यास के उचित प्रशासन के लिए न्यायालय द्वारा किसी भी निर्देश के लिए कोई प्रकरण नहीं बनाया है, तो धारा के

अंतर्गत पकरण की नींव ही विफल हो जाएगी; और, भले ही धारा 92 के अंतर्गत प्रकरण की अन्य सभी सामग्री तैयार कर ली गई हो, अगर यह स्पष्ट है कि वादी सर्वजन के अधिकार की पुष्टि के लिए प्रकरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने व्यक्तिगत या व्यक्तिगत अधिकारों या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यक्तिगत या व्यक्तिगत अधिकारों की घोषणा की मांग कर रहे हैं, जिसमें वे रुचि रखते हैं, तो प्रकरण धारा 92 के सीमा से बाहर होगा (एन. शनमुखम चेट्टी बनाम वी.एम. गोविंदा चेट्टील, तिरुमलाई देवस्थानम विरुद्ध देखें)। उदीकवर कृष्णय्या शांभागा2, सुगरा बीबी बनाम झाजी कुम्मु मिया3 और मुल्ला: व्यवहार प्रक्रिया संहिता (13वां संस्करण) खंड 1, पृष्ठ 400)। कंडिका प्रकरण जिसका प्राथमिक उद्देश्य या उद्देश्य किसी व्यक्तिगत अधिकार के उल्लंघन का समाधान करना या किसी निजी अधिकार की पुष्टि करना है, इस धारा के अंतर्गत नहीं आता है। धारा में निर्दिष्ट अनुतोषों का दावा करने वाले हर प्रकरणों को इस धारा के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है, बल्कि केवल वे प्रकरण, जो किसी भी अनुतोतोषों का दावा करने के अलावा,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सार्वजनिक अधिकारों की पुष्टि के लिए सर्वजन के प्रतिनिधियों के रूप में व्यक्तियों द्वारा लाए जाते हैं, और यह निर्णय लेने में कि क्या कोई प्रकरण धारा 92 के अंतर्गत आता है, न्यायालय को अनुतोषों के उस पार जाना चाहिए और उस क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए जिसमें वादी प्रकरण कर रहे हैं और जिस उद्देश्य के लिए वाद लाया गया था। यही कारण है कि धार्मिक प्रकृति के सार्वजनिक न्यास के न्यासियों को अपने व्यक्तिगत या व्यक्तिगत अधिकारों की पुष्टि के लिए इस धारा के अंतर्गत प्रकरण करने से रोका जाता है। जब किसी न्यासी के पद पर अधिकार का दावा किया जाता है या इनकार किया जाता है और उस आधार पर अनुतोष मांगी जाती है, तो प्रकरण धारा 92 के अंतर्गत आता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. हमें कोई कारण नहीं दिखता कि समान सिद्धांत क्यों लागू नहीं होना चाहिए, यदि वादी यहां जिस बात को प्रमाणित करना चाहते हैं वह मठ के शंकराचार्य के रूप में स्थापित होने का कृष्णबोधाश्रम का व्यक्तिगत या व्यक्तिगत अधिकार है। धारा 92, यह प्रश्न कि क्या प्रकरण किसी तीसरे व्यक्ति के व्यक्तिगत या

वैयक्तिक अधिकार की पुष्टि के लिए है या सर्वजन के अधिकार पर जोर देने के लिए है, वादपत्र में आरोपों के आलोक में प्रकरण के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तय किया जाना चाहिए। यदि, वादपत्र में आरोपों पर, यह स्पष्ट है कि प्रकरण का उद्देश्य कृष्णबोधाश्रम के शंकराचार्य होने के व्यक्तिगत अधिकार की पुष्टि करना था, तो यह मानने का कोई कारण नहीं है कि प्रकरण; न्यास के लाभार्थियों के अधिकार को बनाए रखने के लिए लाया गया था, केवल इसलिए कि प्रकरण, सर्वजन के दो या दो से अधिक सदस्यों द्वारा महाधिवक्ता की स्वीकृति प्राप्त करने और धारा में निर्दिष्ट एक या अधिक अनुतोषों का दावा करने के बाद प्रस्तुत किया गया था। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि जब भी धारा 92 के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई प्रकरण लाया जाता है, तो प्रकरण सर्वजन के अधिकार की पुष्टि के लिए होता है। जैसा कि हमने कहा, यह प्रकरण का उद्देश्य या उद्देश्य है, न कि अनुतोष जो यह तय करना चाहिए कि क्या यह सर्वजन के अधिकार या वादी या तीसरे व्यक्तियों के व्यक्तिगत अधिकार की पुष्टि के लिए है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. व्य. प्र. सं. की धारा 92, अधिनियम, 1951 की धारा 26 और 27 में निहित प्रावधानों और उपरोक्त संदर्भित प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय और म. प्र. उच्च न्यायालय की युगल पीठ द्वारा निर्धारित विधि को ध्यान से पढ़ने पर, निम्नलिखित विधि का प्रस्ताव सामने आएगा:

> "अधिनियम, 1951 की धारा 27 (4) के प्रतिबंध को आकर्षित करने के लिए, न्यास को सार्वजनिक न्यास होना चाहिए; उस मामले पर व्य. प्र. सं. की धारा 92 के अंतर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसके संबंध में अधिनियम, 1951 की धारा 26 के अंतर्गत एक आवेदन किया जा सकता है, और सार्वजनिक अधिकारों की पुष्टि के लिए जनता के प्रतिनिधि के रूप में दायर किया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अब, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर आते हुए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दावा की गई अनुतोष उस संकल्प को अमान्य घोषित करने के लिए है जिसके द्वारा वादी को न्यासिता से हटा दिया गया था और आवेदक संख्या 3 से 5 को इसके न्यास के रूप में शामिल किया गया है। इस प्रकार, वादी द्वारा सार्वजनिक अधिकारों की पुष्टि के लिए जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रकरण नहीं लाया गया था और यह उसके व्यक्तिगत अधिकारों की घोषणा के लिए दायर किया गया है।

19. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में ऊपर उल्लिखित विधियों के प्रस्ताव को लागू करके, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रकरण अधिनियम, 1951 की धारा 27 (4) के अंतर्गत वर्जित है, और विचारण न्यायालय ने इस आधार पर प्रकरण को सही माना है।

20. यद्यपि, प्रकरण के मूल्यांकन के संबंध में वाद-विवाद के आधार पर, यह प्रकरण मप्र व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा '6 (ए) के संदर्भ में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग II द्वारा विचारणीय है। यद्यपि , जिला न्यायाधीश की न्यायालय को इसके मूल्य के संबंध में किसी भी प्रतिबंध के बिना किसी भी प्रकरण या मूल कार्यवाही पर निर्णय लेने का अधिकार है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि जिला न्यायाधीश की न्यायालय किसी भी प्रकरण या कार्यवाही पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए भी सक्षम है, जिसे सुनने और निर्णय लेने के लिए एक व्यवहार न्यायाधीश सक्षम है, लेकिन वह ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं करेगा क्योंकि विधि यह है कि एक प्रकरण या कार्यवाही सबसे कम सक्षम क्षेत्राधिकार वाली न्यायालय में आरम्भ की जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पुनरीक्षण आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है । जिला न्यायाधीश, रायगढ़ को वितरण ज्ञापन के अनुसार मामले को सुनने और निर्णय लेने के अधिकार क्षेत्र वाले व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग II की न्यायालय में

प्रकरण को स्थानांतरित करने के लिए उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है। यद्यपि, प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, वादव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-

एन.के. अग्रवाल
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुवादक: अधिवक्ता, अंकिता श्रीवास्तव.